संख्या-37/2026/129/60-1-2026-सी-1708458

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 07 अगस्त, **2026**

विषय:- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) इन्दिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार से अवमुक्त (मदर सेंक्शन) से प्राप्त केन्द्रांश का उपभोग हेतु नवीन लेखाशीर्षक में धनराशियों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् निदेशालय के पत्र संख्या-306/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 30.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) हेतु भारत सरकार से प्राप्त Mother Sanction की धनराशियों का उपभोग किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49, 81 एवं 83 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) इन्दिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजनान्तर्गत कुल धनराशि रू0 38015.74 लाख (रूपये तीन अरब अस्सी करोड़ पन्द्रह लाख चौहत्तर हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021030109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 के)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | अनुमोदित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 2235021030109 इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 के | 63 सामाजिक पेंशन | 2,76,16,30,000 (रुपये दो अरब छिहत्तर करोड़ सोलह लाख तीस हजार मात्र) |
| | कुल | | | 2,76,16,30,000 (रुपये दो अरब छिहत्तर करोड़ सोलह लाख तीस हजार मात्र) |

लेखाशीर्ष: 2235027890109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | अनुमोदित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 083 | 2235027890109 इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र | 63 सामाजिक पेंशन | 1,01,89,36,000 (रुपये एक अरब एक करोड़ नवासी लाख छत्तीस हजार मात्र) |
| | कुल | | | 1,01,89,36,000 (रुपये एक अरब एक करोड़ नवासी लाख छत्तीस हजार मात्र) |

लेखाशीर्ष: 2235027960109 (इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र)

| | अनुदान | लेखा शीर्षक | मानक मद | अनुमोदित धनराशि |
|---|---|---|---|---|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | | | |
| 1 | 081 | 2235027960109<br>इंदिरा गाँधी नेशनल विडो पेंशन केंद्र 100 राज्य 00 केंद्र | 63<br>सामाजिक पेंशन | 2,10,08,000<br>(रुपये दो करोड़ दस लाख आठ हजार मात्र) |
| | कुल | | | 2,10,08,000<br>(रुपये दो करोड़ दस लाख आठ हजार मात्र) |
| महायोग | | 3,80,15,74,000<br>(रुपये तीन अरब अस्सी करोड़ पन्द्रह लाख चौहत्तर हजार मात्र) | | |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-59, 60 एवं 61, दिनाँक 06.08.2026 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in